कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) ६८ वर्ग मीलों का सर्वे हो चुका है। ७०० सीमा के खम्बे बनाये जा चुके हैं और सीमा के रिकार्ड्स तैयार हैं।

(ख) हिमाचल प्रदेश में वन सर्वेक्षण के पूरा करने की कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है। फिर भी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस योजना को चालू रखने का प्रस्ताव है।

मिट्टी का कटाव

११२०. **श्री पद्म देव :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५८ और १९५९ के लिए भाखड़ा बांध में मिट्टी के कटाव के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या कार्य किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : १९५८–५९ और १९५९–६० (दिसम्बर १९५९ तक) के दौरान में भाखड़ा कैचमेन्ट क्षेत्र में निम्नलिखित भूमि संरक्षण कार्यों को किया गया है :—

१—४२७६ एकड़ से अधिक में वन रोपण।

२—१८५० एकड़ से अधिक में कण्टूर ट्रेन्चिंग।

३—४४५० चैक बान्ध बनाये गये।

४—४०२६ एकड़ से अधिक में निराई की गई।

५—१० १।२ मील की लम्बाई का एक निरीक्षक-मार्ग बनाया गया।

६—३ एकड़ में नर्सरी बनाई गई।

७—एक एकड़ में प्रयोगरूप में सीढ़ीदार खेत बनाये गये।

८—मिट्टी रोकने की १६६६४७ घन-फुट-मात्रा में काम किया गया।

९—३६७ गूल बनाई गयी और बोई गयी।

Covering of Platforms

1121. Shri Pangarkar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state the names of Stations in the Secunderabad division of Central Railway, the platforms of which have been covered in 1959-60 so far?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan): Nander, on Secunderabad Manmad Section.

हिमाचल प्रदेश का कृषि विभाग

११२२. **श्री पद्म देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० के लिए हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग में कितने कृषि विशेषज्ञों की जरूरत है ; और

(ख) विशेषज्ञों की संख्या की कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) विभाग में मौजूदा विशेषज्ञों के अलावा और विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश का शिकार विभाग

११२३. **श्री पद्म देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० में हिमाचल प्रदेश के शिकार विभाग ने क्या प्रगति की है और इसका भविष्य क्या है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): सन् १९५९–६० में शिकार विभाग ने वन्य जीवन के प्रबन्ध के अपने साधारण काम को और उस की रक्षा के नियमों को कार्यान्वित करने के काम को जारी रखा। बिलासपुर जिले के वन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के लिये शिकार के नियमों को नोटीफाइड (notified) किया, सोलन, शिमला, बिलासपुर और नाहन वन मण्डल के शूटिंग